सहायक कलक्टर
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

30/7/24

पत्रावली पेश/वकील पक्षकार उपस्थित। वाद वाद को स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर पत्रावली जिला रिकॉर्ड भण्डार में शामिल हो।

सहायक कलक्टर (का०द०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
177ए/25	17.06.2025	30.12.2025

बउनवान

1. इलाही पुत्र धोताली
2. चान्दा पुत्र धोताली
3. खैराती पुत्र सुलेमान
4. जानमोहम्मद पुत्र सुलेमान
5. मुन्दरखां पुत्र सुलेमान
6. सुभाष खां पुत्र सुलेमान
7. हातम खां पुत्र सुलेमान
8. मन्नी पुत्री सुलेमान
9. तेजराम पुत्र रघुनाथ
10. बिसमिला पत्नी समयदीन उर्फ समरदीन
11. हसन बानो पुत्री टैण्डू
12. मजीदन पुत्री टैण्डू जातियान मेव निवासीयान बिरटोली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी वकील :– श्री पृथ्वीसिंह यादव

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आ० हाल ख0न0 102 रकबा 0.37 हैक0, 103 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम बिरटोली तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में स्थित है। जो प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि उक्त हाल ख0न0 102 रकबा 0.37 का साबिक ख0न0 79 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, हाल ख0न0 103 रकबा 0.44 हैक० का साबिक ख0 न0 80 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा से बने है तथा इससे पूर्व सटैलमेन्ट

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

सम्वंत 2015 से पूर्व साबिक ख0न0 79 रकबा एक बीघा नौ बिस्वा ही था तथा ख0 न0 80 रकबा एक बीघा पन्द्रह बिस्वा ही था मुलाहिजा के लिए मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2015 दावा हाजा के साथ संलग्न है उक्त सभी साबिक ख0 नम्बरान में मिन वादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर बिना किसी एतराज व विरोध के खातेदार काश्तकार के रूप में शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। इसी प्रकार वादीगण के पूर्वज काबिज काश्त खातेदार रहे है मुलाहिजा के लिए नकल जमाबंदी सैटलमैन्ट विभाग सम्वंत 2015. सम्वत 2022, सम्वंत 2026, सम्वंत 2063–65 मिलान क्षेत्रफल 2015, 2070 वाद पत्र के साथ संलग्न है सम्वत 2072–75 संलग्न है।

3. यह है कि विवादित आराजी वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की दादालाई आराजी है जो वादीगण को पूर्वजो से विरासत में प्राप्त हुई है चूंकि अब तक सभी खातेदारो के के०सी०सी० कार्ड व अन्य सरकारी सुविधा के लाभ मिलते रहे है जिस कारण से वादीगण अपने राजस्व रिकार्ड को सही समझते रहे है लेकिन विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में साकिन देह खातेदार दर्ज है लेकिन उसके आगे उन्ही खातेदारों के पूर्वजो अर्थात हम वादीगण के पूर्वजो के नाम लिखते हुये अ०वि०व० (शिकमी) दर्ज होने के कारण वादीगण अब किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे है के०सी०सी० कार्ड भी नही बन पा रहा है जिस किसी का पहले बन गया उसको पुनः ऋण नही मिल रहा है मिन वादीगण अनपढ ग्रामीण व्यक्ति है जो राजस्व रिकार्ड व सभी कानूनी बाते नहीं समझ पाते है उक्त त्रुटि को सही करवाने के लिए मिन वादीगण कई बार हल्का पटवारी से मिले, हल्का पटवारी का ऐसे ही बहाना चलता रहा। वादीगण ने ऋण नही मिलने व अन्य सुविधा नही मिलने का कारण पूछा तो दिनांक 25/02/2025 को जमाबंदी की नकल मिलने के बाद दिनांक 26/02/2025 को कहा कि उक्त ख०न० के राजस्व रिकार्ड में एक दूसरे सहखातेदार का नाम शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज है शिकमी शब्द हटाये जाने के बाद ही तुम्हे के०सी०सी० ऋण या कृषक सम्बन्धी अन्य सुविधा मिलने की कार्यवाही हो सकती है दिनांक 4/03/25 को साबिक ख0 न0 के राजस्व रिकार्ड की नकल मिलने के बाद दिनांक 8/03/25 को मिन वादीगण ने श्रीमान तहसीलदार से सम्पर्क किया तो तहसीलदार मुण्डावर ने अदालत श्रीमान से आदेश कराने को कहा इसलिए अविलम्ब ही अन्य आवश्यक दस्तावेजो की नकल लेकर दावा इस्तकरार हक मय हु०ई० दवामी पेश करना आवश्यक आया है।

4. यह है कि विवादित आ० मिन वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की दादालाई आ० है जिस पर मिन वादीगण शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। लेकिन हाल राजस्व रिकार्ड में खातेदार शब्द के बाद "अ.वि.व बसीरी वगैरा मजकूर बकाश्त चान्दा चन्दू जोधा सुलेमान पि. धोताली समभाग शिकमी साल 20–1/2" दर्ज कर दिया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

से उक्त शिकमी दर्ज कर दिया गया उक्त विवादित ख० नम्बरान के साथ वादीगण का नाम शिकमी के रूप में दर्ज होना कानूनन गलत है जबकि साबिक रिकार्ड सम्वत 2026 व उससे पूर्व के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादीगण स्पष्ट खातेदार दर्ज है लेकिन हाल राजस्व रिकार्ड में शिकमी बाबत उक्त गलत एंट्री होने के कारण मिन वादीगण अपनी कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि का किसान ऋण व अन्य सरकारी सुविधा से मिलने वाले लाभ की राशि प्राप्त करने से महरूम रह रहे है तथा हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में) वादीगण को खातेदार के साथ "अ.वि.व बसीरी वगैरा मजकूर बकाश्त चान्दा चन्दू जोधा सुलेमान पि. घोताली समनाग शिकमी साल 20–1/2" अ.वि.व. के रूप में दर्ज होना मिन वादीगण के हक व अधिकारों के खिलाफ बातिल वो बेअसर है ना काबिल पाबंदी है राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 के लागु होने के बाद किसी भी शिकमी काश्तकार को कोई रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्ध कोई अधिकार नही है इसलिए वादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत एंट्री काबिल दुरूस्ती है मिन वादीगण अपनी काब्जे काश्त खातेदारी की आ० के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम व साकिन देह खातेदार शब्द के बाद बेजा तौर पर दर्ज अ.वि.व. शिकमी का नाम कलमजन कराकर विवादित आ० को कब्जे काश्त खातेदार घोषित कराने की आधिकारी है।

5. यह है कि मिन वादीगण विवादित आ० पर मिन वादीगण बिना किसी एतराज व विरोध के मौके पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से अंकन चला आ रहा है गलत अंकन के आधार पर आये दिन मिन वादीगण को परेशानीयों का सामना करना पड रहा है सरकार द्वारा जारी कई योजनाओं का लाभ मिन वादीगण को नही मिल पा रहा है। वादीगण के अधिकार कानूनन सुरक्षित है जो प्रतिवादीगण को जयें हु०ई० दवामी पाबंद कराने का अधिकारी है।
6. यह है कि दावा हाजा बाबत बिनायदावी व बिनायमुखास्मत दि0 26/02/25 को के0 सी0 सी0 ऋण नही मिलने के बाबत हल्का पटवारी द्वारा बताये जाने व दिनांक 4/03/2025 को साबिक राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त होने व दिनांक 8/03/2025 को तहसीलदार मुण्डावर से दुरूस्ती के लिए निवेदन किया तो अदालत श्रीमान के आदेश लाने को कहने पर पैदा होकर वाद वादी मामूलन अन्दर अवधि पेश है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे –

(अ) यह है कि डिकी इस्तकरारहक मय दुरूस्ती सादिर फरमायी जाकर विवादित आ० हाल ख0न0 102 रकबा 0.37 हैव0, 103 रकबा 0.44 हैव0 वाके ग्राम बिरटोली तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज० अपनी

सहायक कलक्टर (प्रशि.)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

कब्जेकाश्त खातेदारी की आ० के हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी के नाम के बाद शब्द खातेदार के आगे बेजा तौर पर दर्ज "अ. वि.व बसीरी वगैरा मजकूर बकाश्त चान्दा चन्दू जोधा सुलेमान पि. धोताली समभाग शिकमी साल 20–1/2" अर्थात अ0 वि0 व0 समस्त विवरण को हजफ करते हुये शिकमी शब्द को कलमजन किया जाकर विवादित आ० के कब्जे काश्त खातेदार घोषित किया जावे।

(ब) यह है कि डिकी हु०ई० दवामी सादिर फरमायी जाकर जि०न० 1 में अंकित आ० हाल ख०न० समस्त के बाबत हु०ई० दवामी से प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे।

(द) दीगर दादरसी जो बनजदीक श्रीमान उचित समझे सादिर फरमायी जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादी की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2072–75, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2072–75, प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2059–62, प्रदर्श–5 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029, प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत 2025, प्रदर्श–7 खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2029, प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्वत 2026 पेश किया गया।

वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री पृथ्वीसिंह यादव द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नानुसार बहस प्रस्तुत की गई

अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 102 रकबा 0.37 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 103 रकबा 0.44 हैक्टेयर ग्राम बिरटोली तहसील मुण्डावर स्थित है, जो वादीगण की दादलाई/पैतृक कब्जे–काश्त खातेदारी की भूमि है। वादीगण एवं उनके पूर्वज लम्बे समय से उक्त भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्तकार रहे हैं तथा उनके कब्जे एवं खातेदारी पर कभी किसी प्रकार का विवाद अथवा आपत्ति नहीं की गई है।

अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2015, 2022, 2026, 2059–62, 2072–75, खतौनी बन्दोबस्त एवं मिलान क्षेत्रफल जैसे अभिलेखों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि साबिक राजस्व रिकार्ड में वादीगण अथवा उनके पूर्वज खातेदार के रूप में दर्ज रहे हैं। इन अभिलेखों में कहीं भी वादीगण को शिकमी काश्तकार नहीं दर्शाया गया है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि हाल राजस्व रिकार्ड में खातेदार शब्द के पश्चात् "अ.वि.व. समभाग शिकमी साल 20–1/2" का जो अंकन किया गया है, वह बिना किसी सक्षम आदेश एवं विधिक आधार के किया गया है, जो कि स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार खातेदार काश्तकार के विरुद्ध किसी शिकमी काश्तकार का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं होता है, अतः वादीगण के नाम के आगे शिकमी का अंकन कानूनन अस्थिर एवं अमान्य है।

अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त गलत प्रविष्टि के कारण वादीगण को के.सी.सी. ऋण, कृषि ऋण तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे उनके वैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। वादीगण द्वारा त्रुटि सुधार हेतु राजस्व अधिकारियों से कई बार सम्पर्क किया गया, परन्तु न्यायालय के आदेश के अभाव में दुरुस्ती संभव नहीं हो सकी।

अधिवक्ता ने अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा न तो वाद का प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया है और न ही वादीगण के साक्ष्यों का खण्डन किया गया है, जिससे वादीगण का दावा पूर्णतया सिद्ध होता है। अतः न्यायहित में वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए विवादित आराजियों को वादीगण की कब्जे–काश्त खातेदारी घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड से बेजा रूप से अंकित "अ.वि.व./शिकमी" शब्द को हजफ/कलमजन किये जाने की डिक्री पारित की जाना न्यायोचित होगा।

विस्तृत विवेचन

प्रकरण के समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, संलग्न दस्तावेजों एवं वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर सम्यक् रूप से विचार किया गया। प्रतिवादीगण की विधिवत् तामील होने के उपरान्त उनके न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

वादियों का कथन है कि ग्राम बिरटोली, तहसील मुण्डावर स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 102 रकबा 0.37 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 103 रकबा 0.44 हैक्टेयर उनकी दादलाई/पैतृक कब्जे–काश्त खातेदारी की भूमि है। वादीगण का यह भी कहना है कि उक्त आराजियों पर वे एवं उनके पूर्वज सैटलमेंट सम्वत 2015 से पूर्व तथा तत्पश्चात् निरन्तर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त रहे हैं तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके कब्जे अथवा खातेदारी पर कभी आपत्ति नहीं की गई।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-बिजयनगर)

वादियों द्वारा अपने दावे के समर्थन में विभिन्न राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें जमाबन्दी सम्वत 2015, 2022, 2026, 2059–62, 2072–75, खतौनी बन्दोबस्त तथा मिलान क्षेत्रफल सम्बन्धी दस्तावेज सम्मिलित हैं। इन समस्त अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि साबिक रिकार्ड में वादीगण अथवा उनके पूर्वज खातेदार के रूप में अंकित रहे हैं तथा उनके नाम पर ही खेती–बाड़ी का अधिकार मान्य किया गया है।

हाल राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह पाया गया कि खातेदार शब्द के पश्चात् "अ.वि.व. समभाग शिकमी साल 20–1/2" का अंकन किया गया है, जिससे वादीगण को शिकमी काश्तकार के रूप में दर्शाया गया है। उक्त अंकन के संबंध में कोई वैध आदेश, सक्षम अधिकारी का निर्णय अथवा विधिक आधार अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। साबिक रिकार्ड में वादीगण के खातेदारी अधिकार स्पष्ट होने के बावजूद इस प्रकार का शिकमी अंकन किया जाना राजस्व रिकार्ड की गंभीर त्रुटि प्रतीत होती है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार खातेदार काश्तकार के विरुद्ध किसी शिकमी काश्तकार को कोई स्वतंत्र अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, जब साबिक एवं निरन्तर रिकार्ड में वादीगण/उनके पूर्वज खातेदार के रूप में दर्ज रहे हैं, तब केवल हाल की जमाबन्दी में बिना किसी विधिक आधार के शिकमी का उल्लेख किया जाना कानूनसम्मत नहीं माना जा सकता।

यह भी विचारणीय है कि उक्त गलत प्रविष्टि के कारण वादीगण को किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.), कृषि ऋण तथा अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे उनके वैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। वादीगण द्वारा यह भी सिद्ध किया गया है कि उन्होंने त्रुटि सुधार हेतु पटवारी एवं तहसीलदार स्तर पर प्रयास किये, परन्तु न्यायालय के आदेश के अभाव में रिकार्ड दुरुस्ती संभव नहीं हो सकी, जिसके परिणामस्वरूप यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कथनों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का कोई प्रतिवाद या खण्डन नहीं किया गया है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अप्रमाणित नहीं रह जाते और उन्हें स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विवादित आराजियों के संबंध में राजस्व रिकार्ड में "अ.वि.व./शिकमी" का अंकन तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है तथा दुरुस्ती योग्य है।

सहायक कलक्टर (ग्रेड-2)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अतः यह न्यायालय मानता है कि वादीगण विवादित आराजी के वैध कब्जे–काश्त खातेदार हैं तथा उनके नाम के आगे बेजा रूप से अंकित शिकमी सम्बन्धी प्रविष्टि को हजफ/कलमजन किया जाना न्यायोचित, वैधानिक एवं आवश्यक है।

आदेश

प्रकरण के समस्त अभिलेखों, प्रस्तुत साक्ष्यों, वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय निम्न आदेश पारित करता है वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 102 रकबा 0.37 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 103 रकबा 0.44 हैक्टेयर, स्थित ग्राम बिरटोली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा, वादीगण की कब्जे–काश्त खातेदारी की भूमि घोषित की जाती है। उक्त आराजियों के संबंध में हाल राजस्व रिकार्ड/जमाबन्दी में खातेदार के नाम के पश्चात् बेजा रूप से अंकित "अ.वि.व. बसीरी वगैरा मजकूर बकाश्त चान्दा चन्दू जोधा सुलेमान पि. धोताली समभाग शिकमी साल 20–1/2" समस्त विवरण को हजफ/कलमजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मुण्डावर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रविष्टियाँ कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करावें। **पर्चा डिक्री जारी हो।**

यह निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन) सहायक कलक्टर (फा...)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

सहायक कलक्टर

मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
177ए/25	17.06.2025	30.12.2025

बउनवान

1. इलाही पुत्र धोताली
2. चान्दा पुत्र धोताली
3. खैराती पुत्र सुलेमान
4. जानमोहम्मद पुत्र सुलेमान
5. मुन्दरखां पुत्र सुलेमान
6. सुभाष खां पुत्र सुलेमान
7. हातम खां पुत्र सुलेमान
8. मन्नी पुत्री सुलेमान
9. तेजराम पुत्र रघुनाथ
10. बिसमिला पत्नी समयदीन उर्फ समरदीन
11. हसन बानो पुत्री टैण्डू
12. मजीदन पुत्री टैण्डू जातियान मेव निवासीयान बिरटोली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री पृथ्वी सिंह यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वाद में **दिनांक 30.12.2025** को **श्री सृष्टि जैन, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ था। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी की जाती है :–

सहायक कलक्टर (आर.ए.एस.)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 102 रकबा 0.37 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 103 रकबा 0.44 हैक्टेयर, स्थित ग्राम बिरटोली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा, वादीगण की कब्जे–काश्त खातेदारी की भूमि घोषित की जाती है। उक्त आराजियों के संबंध में हाल राजस्व रिकार्ड/जमाबन्दी में खातेदार के नाम के पश्चात् बेजा रूप से अंकित "अ.वि.व. बसीरी वगैरा मजकूर बकाश्त चान्दा चन्दू जोधा सुलेमान पि. धोताली समभाग शिकमी साल 20–1/2" समस्त विवरण को हजफ/कलमजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मुण्डावर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रविष्टियाँ कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (काठेड़)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0